MANUAL – 7

SEC 4. (1) (b) (vii) THE PARTICULARS OF ANY ARRANGEMENT THAT EXISTS FOR CONSULTATION WITH, OR REPRESENTATION BY, THE MEMBERS OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE FORMULATION OF ITS POLICY OR IMPLEMENTATION THEREOF

This office acts in close liaison and consultation with the State Government as well as prominent local Industrial Associations in the formulations and implementation of the developmental scheme, regulatory work, etc. of Government of India. The Officer In-charge of this Office, explains the various developmental Schemes of the Government of India as well as the functions and activities of this office including consultancy services, trouble shooting assignments, preparation of project reports etc., to the public during every awareness / facilitation programmes / seminars / workshops. The members of public are free to give feedback / suggestions for the implementation, modifications and formulation of policies / schemes / activities for the overall development of textile industry. Our field officers are also in various committees.

Over and above informal meetings and consultation with the stake holders of the Textile Industrial Trade, certain formal committee / board are also constituted for various purposes. The major committees are given below:

1. Ministry of Textiles, Government of India vide its letter No.11/31/2020-Fibre-I dated 14.09.2020 has formulated a Committee on Cotton Production and Consumption (COCPC) for estimation of various data on cotton including production, supply, demand, export and closing stock of cotton etc. every year to help planning strategy for development of the Cotton Sector.

2. Ministry of Textiles, Government of India vide its O.M.No.11/18/2022-Fibre-I dated 25.05.2022 has constituted Textile Advisory Group (TAG) for Cotton, an informal group of deliberate and recommend on issues pertaining to the entire cotton value chain.

3. Hank Yarn Price Monitoring Committee : The committee under the chairmanship of Tx.C. to take stock of the availability and price of hank yarn, the major raw material for the handloom sector.

4. TAMC Technical Advisory cum Monitoring Committee . The committee meets whenever necessity is there.

System of Public Information under RTI Act, 2005

ADDITIONAL TEXTILE COMMISSIONER

(APPELLATE AUTHORITY)

↓

DIRECTOR (FINANCIAL SURVEY)

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

↓

OFFICER-IN-CHARGE OF REGIONAL OFFICES IN THE RESPECTIVE REGION

(PUBLIC INFORMATION OFFICER)

↓

ASSISTANT DIRECTOR

(ASSISTANT PUBLIC INFORMATION OFFICER)- CO-ORDINATION

↓

OFFICER-IN-CHARGE OF POWERLOOM SERVICE CENTRE

(ASSISTANT PUBLIC INFORMATION OFFICER)
(IN THE RESPECTIVE REGION)

नियमावनी (मैनुअल)-07

अनुच्छेद 4(1)(बी)(VII) आम जनता से कार्यालय की नीतियाँ (पॉलिसी) बनाने अथवा उनके कार्यान्वयन के समय किसी स्तर पर विचार-विमर्श या उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की कौन सी व्यवस्था है उसका विवरण :

यह कार्यालय भारत सरकार की विकास नीतियाँ बनाने उनका कार्यान्वयन करते समय नियंत्रक कार्य इत्यादि करते समय राज्य सरकार तथा साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक संगठनों से सघन सम्पर्क एवं विचार-विमर्श करके कार्य करता है । इसके क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भारत सरकार की विकास संबंधी विभिन्न नीजियों साथ ही साथ प्रत्येक जन जागरूकता/सरलीकरण कार्यक्रमों/संगोष्ठियोंकार्यशालाओं के अवसर पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय की परामर्शी सेवाओं कार्यालय के कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी, समस्या समाधान क्रियाओं, परियोजना रिपोर्ट आदि की तैयारी की जानकारी आम आदमी को देते हैं ।

आप आदमी वस्त्र उद्योग के समग्र विकास हेतु प्रति पुष्टि (फीडबैक)/नीतिया/योजनाएँ/ गतिविधयों के निर्धारण करते समय उसमें संशोधन करते समय उनके कार्यान्वयन संबंधी सुधार के बारे में अपनी सलाह दे सकता है । हमारे क्षेत्र अधिकारी विभिन्न समितियों में भी हैं ।

बैठके एवं वस्त्र उद्योग के अंश धारकों की बैठक एवं विचार-विमर्श के अलावा कई कारणों से कुछ औपचारिक समिति/बोर्ड का भी गठन किया गया है ।
कुछ प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित हैं :-

1. **अखिल भारतीय विद्युत करघा बोर्ड :-**
   वस्त्र मंत्रालय द्वारा इसका गठन विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के समग्र विकास पर नजर रखने के लिए किया गया है । वस्त्र आयुक्त इसके सदस्य सचिव हैं और सभी प्रकार के सचिवीय कार्य इस कार्यालय द्वारा किये जायेंगे ।

2. **रूई सलाहकार बोर्ड :-**
   इस बोर्ड का गठन वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है । यह बोर्ड रूई की फसल, जिनिंग एवं उसकी उपलब्धता आदि का पता लगाता ा है और सरकार को उसके अनुरूप उपयुक्त सलाह देता है ।
3. **वस्त्र उपभोक्ता संरक्षण कार्यान्वयन समिति :-**
   इस समिति का गठन वस्त्र आयुक्त द्वारा वस्त्र उपभोक्ता संरक्षण अधिकार (टी सी पी आर) संबंधित मामलों का ध्यान रखने के लिए किया गया है ।
4. **हैंकयार्न मूल्य मूल्यांकन समिति :-**
   इसका गठन हथकरघा विकास आयुक्त क्षरा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है । स्टॉक (माल) की उपलब्धता जानने एवं हथकरघा क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल हैंकयार्न के मूल्य के बारे में चर्चा करने के लिए यह समिति प्रत्येक तिमाही में बैठक करती है ।

जन सूचना की व्यवस्था (सूचना का अधिकारी अधिनियम-5 के अंतर्गत)

वस्त्र आयुक्त
(अपीलीय प्राधिकारी)

संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कार्मिक)
(केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी)

1. मुख्यालय के संबंधित अनुभागों के निदेशक
2. संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी

(जन सूचना अधिकारी)

तकनीकी अधिकारी (प्रवर्तन)
सहायक जनसूचना अधिकारी

वि.क.से.के. प्रभारी अधिकारी
सहायक जन सूचना अधिकारी
(संबंधित क्षेत्र में)